PUCL

PEOPLE'S UNION FOR CIVIL LIBERTIES

270-A, Patpar Ganj, Opposite Anand Lok Apartments (Gate No. 2), Mayur Vihar-I, Delhi 110 091
Phone: (011) 2275 0014 PP FAX: (011) 4215 1459
Founder: Jayaprakash Narayan; **Founding President:** V M Tarkunde
President: Prabhakar Sinha. **General Secretary**: Pushkar Raj. **Treasurer:** Ajit Jha.
Vice-Presidents: (all names in alphabetic order) Binayak Sen (Chhattisgarh); Ravi Kiran Jain (Uttar Pradesh); Sanjay Parikh (Delhi); Sudha Ramalingam (Ms) (Tamil Nadu & Puducherry). **Secretaries:** Chitaranjan Singh (Uttar Pradesh); Kavita Srivastava (Ms) (Rajasthan); Mahi Pal Singh (Delhi); V. Suresh (Tamil Nadu & Puducherry).
E.mails: <puclnat@gmail.com> & <puclnat@yahoo.com> Please visit PUCL website at <www.pucl.org>
C: \PUCL\Emta Please always use **Pin Code**

अगस्त १३, २०११

प्रिय साथी,

हाल में पी०यू०सी०एल० द्वारा आयोजित सम्मेलन में देश भर से आए मानव अधिकार संगठनों ने देशद्रोह कानून के सरकार द्वारा व्यापक दुरूपयोग को रेखांकित किया। सभी तरह के लोकतांत्रिक संघर्षो तथा किसानों व नागरिकों के सरकारी नीतियों के विरोध को सरकार देशद्रोह कानून के अन्तर्गत कुचल रही है। फलस्वरूप हजारों नागरिक जेलों में बंद हैं। इन नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के साथ-साथ भारी व्यक्तिगत, भावनात्मक व आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। इसलिए सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि एक राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया जाए और संसद से यह मांग की जाए कि भारतीय दंड विधान की धारा 124(अ) के अन्तर्गत जनविरोधी देशद्रोह कानून को रद्द किया जाए।

पुष्कर राज

महासचिव

देशद्रोह कानून रद्द करने के लिए भारतीय संसद के नाम एक अपील

गुलामी के दिनों में एक कानून बनाया गया था जिसे देशद्रोह कानून का नाम दिया गया। भारतीय दंड विधान 124(अ) के अन्तर्गत देशद्रोह के लिए आजीवन कारावास का दण्ड है। इस कानून के अन्तर्गत अगर कोई व्यक्ति विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरूद्ध शब्द अथवा चिह्नों द्वारा द्वेष, नफरत अथवा अवमानना उत्पन्न करता है तो उसे इस कानून के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। यह देशद्रोह का अपराध भारतीय दण्ड विधान के भाग चार का हिस्सा है जिसमें राज्य के खिलाफ युद्ध जैसे अपराध शामिल है। सेक्शन 124(अ) अंग्रेजी शासन के दौरान 1870 में लागू किया गया था। ऐसे कड़े कानून की जरूरत भारतीयों की आजादी की माँग को दबाने के लिये पड़ी थी। इस कानून के अन्तर्गत बालगंगाधर तिलक, महात्मा गांधी व मौलाना आजाद जैसे राष्ट्रीय नेताओं पर मुकदमा चलाया गया। बिना ठोस आधार के आजादी के बाद भी ऐसे कड़े कानून को जारी रखा गया हालांकि संविधान में ऐसे कानूनों की पुनः समीक्षा का प्रावधान है।

जवाहरलाल नेहरू पूरी तरह से इस कानून के खिलाफ थे। उन्होंने 1951 में कहा कि सेक्शन 124(अ) विरोध करने लायक व घृणित है और ऐतिहासिक व व्यवहारिक कारणों से जितना जल्दी हो सके हमें इस कानून से छुटकारा पा लेना चाहिए।

वास्तव में एक लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को यह विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार है कि वे जनविरोधी सरकारी नीतियों व कार्यों के खिलाफ बिना हिंसा के जनअसंतोष फैलाऐं। ऐसा करके जनता जनविरोधी सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से विमुक्त करने का अधिकार रखती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक लोकतंत्रीय समाज में प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह सरकार के खिलाफ जन असंतोष फैलाऐ और चुनावी प्रक्रिया द्वारा उसे बदल डाले। सरकार के प्रति अनिष्ठा राज्य के प्रति अनिष्ठा होने से अलग है। हाल के दिनों में देखा गया है कि इस कानून का इस्तेमाल शांतिपूर्ण जनांदोलनों व मानव अधिकार कार्यकत्ताओं को प्रताड़ित करने के लिए किया गया है। देशद्रोह कानून का सहारा लेकर शांतिपूर्ण आलोचना को खामोश करना एक दमनकारी सरकार की निशानी है। भारतीय संसद को इस कानून को शीध्रतम रद्द करना चाहिए।